

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/2020/

जबलपुर, दिनांक /02/2020

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/2710 दिनांक 07.02.2020 के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पीडियाट्रिक्स/गायनिक विभाग हेतु लैब टेक्नीशियन के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 15000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत पीडियाट्रिक्स/गायनिक विभाग में पदस्थ किया जाता है।

क्र	नाम	श्रेणी	पद का नाम
01	राकेश कुमार काछी	अनारक्षित	लैब टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक्स विभाग
02	मनोज कुमार पटेल	अनारक्षित	लैब टेक्नीशियन, गायनिक विभाग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वयंसेवक निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तिकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्य आपकी नियुक्ति स्वयंसेवक समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 02.03.2020 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंसेवक निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुगति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.आर.एच.एम. की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.आर.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
11. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
12. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते हैं तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जावेगा।
13. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
14. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर


जबलपुर, दिनांक 13/02/2020

क्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/2020/1816
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 2 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 3 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलीपुर की ओर।
- 4 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 5 विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु एवं बाल्य रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 5 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें। ।

6 कु./श्रीमति/श्रीपिता.....पता..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अग्रेषित।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
 मेडिकल कालेज जबलपुर